

वित्तीय संस्थाएं

5.1 हाल के वर्षों में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका यह चर्चा का विषय रहा है। हालांकि अस्सी के दशक के उत्तरार्ध और नब्बे के दशक के प्रारंभ में वित्त के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पूंजी बाजार का उदय और मीयादी वित्तपोषण में बैंकों की नवोन्मेषी भूमिका के उभरने तथा वित्तीय प्रणाली को समग्र विकास के साथ-साथ विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) का गठन एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, फिर भी, विकास वित्त संस्थाएं अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करती रही हैं। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के साथ-साथ विनियंत्रण, अविनियमन और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से विभिन्न घटकों में वित्तीय बिचौलियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है। नये बाजार सहभागियों के प्रविष्ट हो जाने के कारण वित्तीय संस्थाओं के कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का दबाव पड़ रहा है। साथ ही, नब्बे के दशक के प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की पहल किये जाने के साथ वित्तीय संस्थाओं की सरकार से दीर्घावधिक रियायती निधियों, विशेष रूप से सांचअ (एसएलआर) बांडों जिनमें बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा अभिदान किये जाते थे, के सुनिश्चित स्रोतों के प्रति पहुंच चरणबद्ध रूप से धीरे-धीरे हटा दी गयी है। फिलहाल, वित्तीय संस्थाएं अपने संसाधन जुटाने के लिए थोक और फुटकर, देशी और विदेशी बाजार उधारों पर अत्यधिक मात्रा में निर्भर हैं। इसके परिणामस्वरूप, विकास वित्त संस्थाओं से पूंजी बाजार से निधियां जुटाये जाने की अपेक्षा की जा रही है। ब्याज दर संरचना पर प्रशासनिक नियंत्रण हटाये जाने से विकास वित्त संस्थाओं के लिए दीर्घावधिक निधियां जुटाना मुश्किल हो गया है। इससे अपने उधारकर्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरें दे पाने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है।

5.2 संसाधन जुटाने में प्रतिस्पर्धा के दबाव के अलावा विकास वित्त के एकमात्र स्रोत के रूप में विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका घट गयी है, क्योंकि दीर्घावधि और उच्च जोखिम परियोजना के वित्तपोषण क्षेत्र में अन्य बिचौलिये विशेषकर बैंक भी आ चुके हैं। अतः, वित्तीय संस्थाओं को न केवल संसाधन जुटाने के लिए, अपितु निधियों के विनियोजन के संदर्भ में भी प्रतिस्पर्धा का अधिकाधिक सामना करना पड़ रहा है। संक्षेप में, भारी गैर-निष्पादक आस्तियों की विरासत के साथ-साथ, परिचालनगत वातावरण में आये परिवर्तन से मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली वित्तीय संस्थाओं पर भारी वित्तीय दबाव आ गया है।


5.3 भारत में वित्तीय संस्थाओं को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआइएफआई), राज्य स्तरीय संस्थाएं और अन्य संस्थाएं (चार्ट V.1)। कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर वित्तीय संस्थाओं के चार घटक हैं, (i) अखिल भारतीय विकास बैंक, (ii) विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, (iii) निवेश संस्थाएं तथा, (iv) पुनर्वित्त संस्थाएं। राज्य स्तरीय संस्थाओं में राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) और राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआइडीसी) शामिल हैं। अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं - भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)। सत्रह अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में से केवल नौ संस्थाओं पर रिजर्व बैंक का विनियमन और पर्यवेक्षण लागू है। इन नौ संस्थाओं में से छः वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आइएफसीआई) लि., भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आइआईबीआई) लि., भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टीएफसीआई) लि., बुनियादी विकास वित्त कंपनी लि., (आइडीएफसी) और एक्विज्म बैंक 'मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाएं' हैं जबकि शेष तीन वित्तीय संस्थाएं अर्थात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयोजनों से पुनर्वित्त संस्थाओं के रूप में माना जाता है।

2. वित्तीय संस्थाओं के लिए नीतिगत पहलें

5.4 भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 5 के अधीन नौ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं¹ (एफआई) का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। वर्तमान में वित्तीय संस्थाएं रूपान्तरण के मार्ग पर हैं क्योंकि वे नरसिंहम समिति II की सिफारिशों के अनुसार अपने आपको एक बैंक या एनबीएफसी के रूप में परिवर्तित कर लेने के प्रयास कर रही हैं। रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा की जानेवाली नीतिगत पहलों का ध्यान वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्संरचना करने पर केंद्रित रहा है, ताकि उन्हें यूनिवर्सल बैंकों में रूपान्तरित करने में सुविधा हो। इसके परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं संबंधी

¹ आइएफसीआई लिमिटेड, आइडीबीआई, एक्विज्म बैंक, आइआईबीआई लिमिटेड, टीएफसीआई लिमिटेड, आइडीएफसी लिमिटेड, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी

चार्ट V.1: वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना



* भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 के अधीन 1985 में स्थापित तत्कालीन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आइआरबीआई) को 27 मार्च 1997 से भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के रूप में पुनर्नामित किया गया ।

** आइवीसीएफ-आइएफसीआई वेंचर पूंजी निधि लि. ।

विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक प्रयोजनों के लिए सिडबी को 'पुनर्वित्त संस्था' कहा जाता है।

टिप्पणी : 1. संबंधित संस्था के नीचे कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े निगमन की स्थापना का वर्ष दर्शाता है।
 2. एसएफसी/एसआईडीसी के नीचे कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उस श्रेणी में संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।
 3. आइडीबीआई 1 अक्टूबर 2004 को आइडीबीआई लि. बन गया।

अपने विभिन्न नीतिगत उपायों को इसप्रकार ढाल रहा है कि एक बैंक बन जाने पर वित्तीय संस्थाएं अपने आपको बैंकिंग प्रणाली के साथ पूर्णतः एकरूप बना पाने की स्थिति में हों। रिजर्व बैंक ने 2003-04 के दौरान वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक पुनर्संरचना करने सहित विभिन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी पहलें करना प्रारंभ किया। चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं संबंधी नीतिगत पहलों में बाजार की गतिविधियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण, प्रकटीकरण, समेकित लेखांकन और पर्यवेक्षण, बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण और बाजारों के विकास करने के उपायों पर बल दिया गया।

5.5 मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली और पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं से संबंधित पर्यवेक्षी और विनियामक विषयों की जांच करने तथा उन्हें प्राप्त होनेवाले संसाधनों के आगम में सुधार करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने विकास वित्त संस्थाओं पर एक कार्यकारी दल गठित करने की घोषणा की जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2004 में प्रस्तुत कर दी है (बाक्स V.1)।

विनियामक पहलें

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदण्ड : परिष्करण

5.6 वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि मार्च 2006 के अंत से किसी आस्ति को उस समय गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाए जिस समय उसका ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए। जहां तक मानदंडों में संशोधन किये जाने के कारण 31 मार्च 2006 को उत्पन्न होनेवाले अतिरिक्त प्रावधानीकरण का प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं को विकल्प होगा कि वे 31 मार्च 2006 को समाप्त होनेवाले वर्ष से प्रारंभ कर तीन वर्षों की अवधि में आवश्यक प्रावधानीकरण को चरणबद्ध रूप में पूरा कर सकते हैं, बशर्ते हर वर्ष में आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान का कम से कम एक चौथाई अंश पूरा किया जाए।

वित्तीय संस्थाओं की संदिग्ध आस्तियों के वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

5.7 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अधिक निकट होने और वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू मानदंड बैंकों के लिए लागू मानदंडों के

बाक्स V.1: विकास वित्त संस्थाओं पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक और पर्यवेक्षी विषयों पर विचार करने और ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से अपनी मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा में विकास वित्त संस्थाओं पर एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : एन. सदाशिवन)² गठित किया। कार्यकारी दल के मोटे तौर पर उद्देश्य थे - विकास वित्त संस्थाओं को बैंकों के रूप में रूपान्तरित करने संबंधी अनुभवों और संभावनाओं की समीक्षा करना तथा वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना और वर्तमान वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक ढाँचे की सिफारिश करना।

कार्यकारी दल ने पाया कि सुधार-पूर्व अवधि में विकास वित्त संस्थाओं को दीर्घावधि वित्त के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा का कोई खास सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि विकास वित्त संस्थाओं के लिए निधियां सरकार द्वारा विधिवत मंजूर की गयी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों से सस्ती दरों पर उपलब्ध थीं। वित्तीय क्षेत्र में हुए सुधारों ने विकास वित्त संस्थाओं का परिचालनात्मक वातावरण बदल दिया है। वैश्विक परिदृश्य में बैंकों के लिए एक परिवर्तित वातावरण की उपस्थिति के साथ वित्तीय संस्थाओं संबंधी विनियामक ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आपूर्ति की दृष्टि से जहाँ विकास वित्त संस्थाओं की निम्न-लागत वाली निधियों तक पहुंच समाप्त हो गयी है, वहीं मांग की दृष्टि से उन्हें दीर्घावधि उधार के लिए बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। फिलहाल, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित नौ विकास वित्त संस्थाओं से तीन संस्थाओं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के जरिए पुनर्वित्त द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन तीन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है क्योंकि उनके ऋण वित्तीय बचौलियों को दिये जाते हैं और कुछ मामलों में इन्हें राज्य सरकार गारंटी का समर्थन रहता है। शेष छः संस्थाओं में से दो विशेष वर्ग को ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाएं अर्थात् एक्जिम बैंक और आईडीएफसी लि. काफी अच्छी स्थिति में हैं। शेष प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करनेवालों के रूप में कार्यरत सभी चार संस्थाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- दक्षतापूर्वक कार्य करनेवाली तथा दीर्घावधि वित्त प्रदान करने में कुशल एक विशाखीकृत बैंकिंग प्रणाली के उभरने के साथ ही विकास वित्त के एक मात्र प्रदाता के रूप में विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका नब्बे के दशक के दौरान समाप्त हो गयी। बैंकों को विकास बांडों के जरिए दीर्घावधि वित्त जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे उच्च जोखिमवाला परियोजना वित्त प्रदान कर सकें।
- चक्रीय रूप से निम्न स्तर की ओर बढ़ते हुए विकास वित्त संस्थाओं के कतिपय क्षेत्रों को ऋण देने के जोखिम आ जाने के परिणामस्वरूप विकास वित्त संस्थाओं ने भारी मात्रा में गैर-निष्पादक आस्तियां जमा कर ली हैं। इससे उबरने के लिए सरकार को एक सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण करना चाहिए, जिसके आधार पर सरकार यह निर्णय करे कि किन क्षेत्रों को विकास वित्त की जरूरत है और कौन-सी संस्था विकास वित्त संस्था के रूप में जारी रह सकती है। जैसा कि नरसिंहम समिति द्वारा सिफारिश की गयी

है शेष विकास वित्त संस्थाओं को या तो एक बैंक के रूप में या एक नियमित एनबीएफसी के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

- उक्त दल ने पहचान की कि राज्य वित्त निगमों की प्रमुख समस्या थीं केंद्रित रूप में निर्णय लिया जाना, कंपनी संस्कृति का अभाव, लेनदेनों की उच्च लागत और कमजोर मूल्यांकन कुशलताएं। दल के अनुसार राज्य वित्त निगमों में सुसूत्रता नहीं रही है। दल वित्तीय रूप से अकार्यक्षम राज्य वित्त निगमों के पुनरुज्जीवन के बारे में निश्चित नहीं है और उसने राज्य वित्त निगमों को चरणबद्ध रूप से हटाये जाने की सिफारिश की है।
- चूंकि किसी ऐसे वित्तीय बचौलिये जिसका संविभाग लगभग परियोजना वित्तपोषण का बना है, के लिए दीर्घावधि वित्त एक जोखिमपूर्ण बात है, अतः, विकास वित्त संस्था को बैंक के रूप में रूपान्तरित होने से पहले विशाखीकृत उत्पादों का सहारा लेते हुए निश्चयपूर्वक परियोजना वित्तपोषण की मात्रा कम कर देनी चाहिए। सर्वांगीण दृष्टि से बड़े पैमाने का चल आस्तिसंविभाग जोखिमपूर्ण हो सकता है।
- संक्रमण की इच्छा रखनेवाली विकास वित्त संस्थाओं को एक बड़ी और विशाखित शेयर धारिता के साथ अपने आपको एक कंपनी के रूप में पुनर्संरचित कर लेना चाहिए। बैंकों के रूप में परिवर्तित विकास वित्त संस्थाओं को परिवर्तन के बाद तीन से पांच वर्षों की अवधि के लिए कतिपय छूटें/रियायतें दी जा सकती हैं।
- उक्त दल ने इस बात पर भी बल दिया है कि चालू आधार पर कारोबार और नीतिगत योजना की निगरानी करने की तब तक जरूरत है जब तक कि विकास वित्त संस्थाएं बैंकिंग प्रणाली के साथ एकरूप नहीं हो जातीं।
- विनियामक ढांचे को और सुदृढ़ बनाये जाने की जरूरत है और यह इस प्रकार बनाया जाए कि वित्तीय सुस्थिति और समग्र सर्वांगीण स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
- उक्त दल ने सिफारिश की है कि कतिपय श्रेणियों यथा पब्लिक वित्तीय संस्थाओं के बांड में निवेश के लिए जोखिम भार को फिलहाल के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे निवेशों में भारी ऋण जोखिम रहता है।
- विकास वित्त संस्थाएं यथा नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक और सिडबी सार्वजनिक नीति के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं और रिजर्व बैंक इन संस्थाओं के वित्तीय तथा अन्य संबंधित पहलुओं का विनियमन करना जारी रख सकता है।

कार्यकारी दल की सिफारिशों और उन पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक नीति 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा में ऐसा प्रस्ताव रखा है कि i) रिजर्व बैंक नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी और एक्जिम बैंक का पर्यवेक्षण करना जारी रखेगा, ii) रिजर्व बैंक सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार करनेवाली डीएफआइ का पर्यवेक्षण करना जारी रखेगा तथापि ऐसी डीएफआइ और बड़ी एनबीएफसी जो सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार नहीं करती हैं परंतु उनकी आस्तियां 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं, उनका सीमित रूप में अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया जायेगा।

साथ एकरूप होने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अपनी वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में ऐसा प्रस्ताव किया है कि वित्तीय संस्थाओं के संबंध में किसी आस्तिको तब संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत करना होगा यदि वह 31 मार्च 2005 से 12 महीने के लिए अवमानक श्रेणी में रहती है। वित्तीय संस्थाओं को चार वर्षों की

अवधि में परिणामी अतिरिक्त प्रावधान समाप्त करने के लिए अनुमति दी गयी है।

गैर-निष्पादक आस्तियों की स्थितियों में और गिरावट - निवारक उपाय

5.8 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने आंतरिक रूप से ऐसे उपायों की पहचान कर सिफारिश करने

² कृपया रिपोर्ट का बाक्स VI.2 भी देखें।

के लिए एक दल गठित किया था जिन्हें बैंकों द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों के खातों के 'अव-मानक' श्रेणी से गिरकर 'संदिग्ध' श्रेणी में जाने से बचाने के लिए लागू किया जायेगा। दल की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं और कुछ दिशा-निर्देश वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू किये गये हैं। तदनुसार, वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष ये दिशा-निर्देश प्रस्तुत करें तथा दिशा-निर्देशों के स्वरूप के अनुरूप आवश्यक मात्रा तक सिफारिश किये गये उपायों के कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करें। आस्ति वर्गीकरण में 'विशेष उल्लेख' वाली श्रेणी आंतरिक नियंत्रण तथा अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से लागू की गयी है और यह रिजर्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों की सीमा के भीतर एक अन्य श्रेणी के रूप में नहीं है।

10 करोड़ रुपये तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों का समझौता द्वारा निपटान करने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश

5.9 10 करोड़ रुपये तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के एक बारगी निपटान (ओटीएस) संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन भारत सरकार के परामर्श से उधारकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2003 की समाप्ति से बढ़ाकर 31 जुलाई 2004 कर दी गयी और आवेदनपत्रों पर कार्रवाई पूर्ण करने की तारीख भी 31 दिसम्बर 2003 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2004 कर दी गयी।

ऋण प्रतिभूतियों का कार्य करनेवाली वित्तीय संस्थाओं के निवेश के संबंध में दिशा-निर्देश

5.10 वित्तीय संस्थाएं समय-समय पर निजी स्थानन के आधार पर कंपनियों द्वारा जारी की जानेवाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करती आ रही हैं। ऐसे निर्गमों को अधिकाधिक पारदर्शिता प्रदान करने तथा ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करनेवालों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सेबी के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निजी स्थानन आधार पर ऋण प्रतिभूतियां जारी करनेवाली किसी भी सूचीबद्ध कंपनी को निम्नलिखित से संबंधित कतिपय शर्तों का अनुपालन करना होगा - संपूर्ण प्रकटीकरण (प्रारंभिक और निरंतर), शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्धता करार, कम से कम निवेश ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग, किसी डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति, डिमैट रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और उनका लेनदेन करना, शेयर बाजारों में तथा अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशकों (क्यूआइआइएस) और उच्च नेटवाले (हाई नेटवर्थ) व्यक्तियों के बीच तथा 10 लाख रुपये के मानक मूल्यवर्ग में लेनदेन करना। यदि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत बिचौलिये अपने आपको गैर-सूचीबद्ध

ऋण प्रतिभूतियों के निजी स्थानन निर्गमों के साथ संबद्ध करते हैं तो ऐसे निर्गमों के लिए वे जबाबदेह माने जायेंगे। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे सेबी द्वारा यथा निर्धारित फार्मेट में सेबी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करें।

5.11 सेबी ने शेयर बाजारों को यह भी निदेश दिया है कि वे यथा प्रयुज्य सूचीबद्धता करार, उप-नियमों (बाय-लॉ), तत्काल कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करें तथा निवेशकों तथा शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों/ब्रोकर सदस्यों/ समाशोधन सदस्यों की आसानी से पहुंच की दृष्टि से अपने दिशानिर्देशों को वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

5.12 विगत कुछ समय में कंपनी प्रतिष्ठानों द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजार में जारी किए ऋण लिखतों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये निवेश में काफी वृद्धि हुई। अतः रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2003 में दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया जिसमें विशेषकर निजी स्थानन के जरिए गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश से उत्पन्न होनेवाले जोखिम को दूर करने का प्रयास किया गया है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर इस विषय पर अंतिम दिशानिदेश जनवरी 2004 में जारी किए गए। इन दिशानिदेशों में मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं : ऋण प्रतिभूतियों की व्याप्ति, प्रभावी तारीख और संक्रमण समय, विनियामक अपेक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली, विवेकसम्मत सीमाएं, निदेशक मंडल की भूमिका, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं प्रकटीकरण तथा कारोबार एवं निपटान। ये दिशानिदेश कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं, विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीपी) आदि, केंद्रीय अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सरकारी गारंटी के साथ अथवा उसके बिना प्राथमिक (सार्वजनिक निर्गम तथा निजी स्थानन); द्वितीयक बाजार दोनों में जारी म्युचुअल फण्डों की ऋण उन्मुखी योजनाओं की यूनितें अर्थात् योजनाएं जिनकी एकत्रित राशि का बड़ा भाग ऋण प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है, तथा पूंजी अभिलाभ बाण्ड और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए पात्र बाण्डों जैसे ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेश पर लागू होते हैं। तथापि, ये दिशानिदेश सरकारी प्रतिभूतियों तथा गिल्ट निधि के यूनितें, प्रतिभूतियां जो रिजर्व बैंक के वर्तमान विवेकसम्मत मानकों के अंतर्गत अग्रिम जैसी है, म्युचुअल फण्ड की इक्विटी उन्मुखी योजनाओं की यूनितें, 'बैलेंसड फंडस' की यूनितें, उद्यम पूंजी निधि तथा मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), तथा जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर लागू नहीं होते हैं। (बाक्स V.2)।

बाक्स V.2: गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी दिशानिर्देश

रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में प्राथमिक बाजार (सार्वजनिक निर्गम और निजी स्थानन) और गौण बाजार दोनों ही में निवेश के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में किये जानेवाले निवेशों, विशेष रूप से, निजी स्थानन से उत्पन्न होनेवाली जोखिमों से निपटा जा सके। उक्त दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2004 से अमल में आये हैं।

ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं द्वारा अपने वर्तमान असूचीबद्ध ऋण निर्गमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराने के लिए अपेक्षित समय को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित संक्रमण समय उपलब्ध कराया जा रहा है :

- क) म्युचुअल फंड के यूनितों में निवेश जिसमें संपूर्ण राशि का निवेश गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में किया जाता है, 31 दिसम्बर 2004 तक उपर्युक्त दिशानिर्देश के दायरे के बाहर रहेगा, उसके बाद ऐसे निवेश पर ये दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
- ख) 1 जनवरी 2005 से म्युचुअल फंड की ऐसी योजनाओं के यूनितों में निवेश जो असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में योजना की निधि के 10 प्रतिशत से कम हो, को इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित विवेकसम्मत सीमाओं के प्रयोजन से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के समकक्ष माना जाएगा। अतएव 31 दिसम्बर 2004 तक ऐसे यूनितों में निवेश पर विवेकसम्मत सीमा लागू होगी।
- ग) वर्तमान असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में 31 मार्च 2004 तक निवेश की अनुमति दी गयी जो 30 नवम्बर 2003 को अथवा उसके पहले जारी किए गए थे। यदि निर्गमकर्ता ने ऐसी असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन किया है तथा प्रतिभूति को न्यूनतम निवेश ग्रेड का दर्जा दिया गया है, तो ऐसी असूचीगत प्रतिभूतियों में निवेश 31 दिसम्बर 2004 तक किया जा सकता है।
- घ) 30 नवम्बर 2003 के बाद जारी असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में 30 नवम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाली श्रेणियों में बकाया निवेश के अनुरूपी आंकड़ों की तुलना में 31 दिसम्बर 2004 तक 10 प्रतिशत की सीमा तक निवेश किया जा सकता है।
- ङ) 1 जनवरी 2005 से केवल वही वित्तीय संस्थाएं असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में नए निवेश (निर्धारित विवेकसम्मत सीमा तक) करने के लिए पात्र होंगी जिनके ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश निर्धारित विवेकसम्मत सीमा के भीतर है।

आइबीए/एफआइएमएमडीए द्वारा पहचानी गई भारत में परिचालनरत किसी बाह्य रेटिंग एजेंसी से न्यूनतम निवेश ग्रेड की रेटिंग वाली केवल दर्जा-प्राप्त ऋण प्रतिभूतियों में ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की अनुमति है। वित्तीय संस्थाएं रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाले वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा-प्रमाणपत्रों को छोड़कर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकती हैं। वित्तीय संस्थाओं को उन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश सहित, जिनपर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में सामान्य विधिवत पूर्व-वृत्तांत संबंधी रिपोर्ट भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण प्रतिभूतियों में सभी नए निवेश केवल उन कंपनियों की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में ही किये जाएं जो सेबी के संगत दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करती हो। जिन असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं को निर्दिष्ट सीमा तक निवेश की अनुमति है, का क्रम (रेट) निर्धारित होना चाहिए तथा निर्गमकर्ता कंपनी को सूचीबद्ध कंपनी के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए।

वित्तीय संस्थाओं को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि प्रस्तावित निवेश क्रम-निर्धारित प्रतिभूतियों में है, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने से पहले उनके ऋण

मूल्यांकन के लिए समान मानदण्ड अपनाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को केवल बाहरी रेटिंग एजेंसियों के क्रम निर्धारण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए परंतु निर्गमकर्ता की वित्तीय स्थिति पर नियमित (तिमाही अथवा छमाही) निगरानी की व्यवस्था के गठन सहित अपनी आंतरिक क्रम-निर्धारण व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए।

वित्तीय संस्थाओं को पिछले वर्ष के 31 मार्च (एनएचबी के मामले में 30 जून) की स्थिति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में अपने कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अनधिक की सीमा के भीतर, जो इन दिशानिर्देशों की निर्धारित सीमा है, असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति है। तथापि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 तथा आस्तिसमर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के संदर्भ में रिजर्व बैंक में पंजीकृत प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद, जिनका क्रम-निर्धारण न्यूनतम निवेश ग्रेड पर अथवा उसके ऊपर किया जाता है, में निवेश को निगरानी अनुपालन के प्रयोजन से 'असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों' में शामिल नहीं किया जाएगा। 31 मार्च 2003 (एनएचबी के मामले में 30 जून 2003) की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त विवेकसम्मत सीमा से अधिक ऋण प्रतिभूतियों में निवेश जोखिम वाली वित्तीय संस्थाओं को विवेकसम्मत सीमा के अनुपालन तक ऐसी प्रतिभूतियों में कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए।

वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड को निगरानी प्रणाली का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए करना होगा कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित विवेकसम्मत सीमाओं का, क्रम-निर्धारण में परिवर्तन के कारण उल्लंघन यदि कोई हो, को दूर करने की व्यवस्था सहित, ईमानदारी से पालन किया जाए। वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड से यह आशा की जाती है कि वह रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल पण्यवर्त (निवेश और अपनिवेश), ऐसे निवेश के लिए रिजर्व बैंक तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत सीमाओं का अनुपालन, निर्गमकर्ताओं के क्रम निर्धारण में परिवर्तन/ वित्तीय संस्थाओं की बही में धारित प्रतिभूतियां तथा परिणामतः पोर्टफोलियो (संविभाग) गुणवत्ता में कमी, तथा नियत आय समूह में अनर्जक निवेश की सीमा की वर्ष में दो बार समीक्षा करें।

ऋण के निजी स्थानन संबंधी के द्रीय डेटाबेस के निर्माण में सहायता देने के लिए निवेशक वित्तीय संस्थाओं से आशा की जाती है कि वे सभी प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमि. (सीआइबीआइएल) में जमा करें। जब वित्तीय संस्थाएं निजी स्थानन के जरिए स्वयं ऋण जुटाती हैं तो उन्हें सीआइबीआइएल में प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति भी जमा करनी होगी। निजी स्थानन वाले ऋण के संबंध में ब्याज भुगतान/किस्त की चुकौती से संबंधित किसी चूक की सूचना भी निवेशक वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ सीआइबीआइएल को दी जानी चाहिए। जैसाकि समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए वित्तीय संस्थाओं को असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अपने निवेश से संबंधित ऐसे विवरण की सूचना भी रिजर्व बैंक को देनी चाहिए।

वित्तीय संस्थाओं को 31 मार्च 2004 (एनएचबी के मामले में 30 जून 2004) को समाप्त वर्ष से निर्धारित प्रारूप में निजी स्थानन के जरिए निवेश के निर्गमकर्ता की संरचना तथा तुलन-पत्र के 'लेखाओं संबंधी टिप्पणी' में गैर-निष्पादक निवेश के ब्यौरे प्रकट करने की आवश्यकता है।

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, तत्काल लेनदेन को छोड़कर, सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति में सभी कारोबार केवल स्टॉक एक्सचेंज के निर्धारित स्थल में ही संपन्न करने होंगे। सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जानेवाली तारीख से सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में सभी तत्काल लेनदेन की सूचना एनडीएस को दी जाएं तथा इसका निपटान भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के जरिए किया जाए।

वाणिज्यिक पत्र(सीपी) के निर्गम संबंधी दिशा-निर्देश

5.13 वाणिज्यिक पत्र बाजार में जारीकर्ता तथा निवेशक दोनों ही को और लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि कंपनियों सहित बैंकेतर संस्थाएं वाणिज्यिक पत्र निर्गम के ऋण वृद्धि हेतु बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी दे सकती हैं, बशर्ते (i) जारीकर्ता वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करता हो, (ii) गारंटीकर्ता के पास किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ऐसी क्रेडिट रेटिंग हो जो जारीकर्ता से कम से कम एक ग्रेड उच्चतर हो और (iii) वाणिज्यिक पत्र के ऑफर प्रलेख में गारंटीकर्ता कंपनी की निवल संपत्ति, ऐसी कंपनियों के नाम जिन्हें कि गारंटीकर्ता ने इस प्रकार की गारंटियां दी हैं, गारंटीकर्ता कंपनी द्वारा दी गयी गारंटी की मात्रा और जिन शर्तों के अधीन गारंटी राशि की मांग की जायेगी, का स्पष्ट उल्लेख हो। साथ ही, बैंकों को बैंकेतर संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत वाणिज्यिक पत्रों में निवेश करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते उनका निवेश जोखिम गैर-प्रतिभूति वाले निवेश जोखिम के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक उच्चतम सीमा के भीतर हो।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं (पीएफआइ) में निवेश के लिए जोखिम भार

5.14 दिसम्बर 1998 से वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि कतिपय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के बांडों/डिबेंचरों में किये जानेवाले उनके निवेशों पर एकसमान रूप से 20 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा। वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि सभी पब्लिक वित्तीय संस्थाओं के निवेशों पर 1 अप्रैल 2005 से 100 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा।

3. पर्यवेक्षण और लेखा-परीक्षा

समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण

5.15 दिशा-निर्देशों के प्रारूप पर प्राप्त अभिमतों के संदर्भ में और उनकी समीक्षा के आधार पर समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश का सेट जारी किया गया। 1 अप्रैल 2003 को लागू दिशा-निर्देश (एनएचबी के मामले में 1 जुलाई 2003) में पर्यवेक्षी ढाँचे के तीन घटक अर्थात्, (i) समेकित वित्तीय विवरण, (ii) समेकित विवेक-सम्मत विवरणी, और (iii) विवेक-सम्मत विनियमों जैसे - मूल वित्तीय संस्थाओं/अनुषंगियों पर लागू एकल समुचित मानदण्ड के अलावा संपूर्ण समूह आधार पर पूंजी-पर्याप्तता, बड़े निवेश और तरलता अंतर जैसे समुचित

विनियमों को लागू करना शामिल है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 21 के अनुसार 1 अप्रैल 2003 से समेकित वित्तीय विवरण का प्रकाशन सूचीबद्धता करार के अनुसार सूचीबद्ध वित्तीय संस्थाओं के लिए और दिशा-निर्देश के अनुसार गैर-सूचीबद्ध वित्तीय संस्थाओं के लिए भी ऐसा प्रकाशन करना अनिवार्य है।

आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) -दिशा निर्देश

5.16 आस्ति देयता प्रबंध संबंधी दिशा-निर्देश अप्रैल 2000 से लागू किए गए और एएलएम व्यवस्था स्थापित होने पर वित्तीय संस्थाओं से 30 जून 2003 को समाप्त तिमाही से तिमाही अंतराल पर वर्तमान अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली के भाग के रूप में तरलता और ब्याज दर अंतर संबंधी आँकड़े रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

प्रत्यक्ष निरीक्षण और अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली

5.17 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एन के अंतर्गत रिजर्व बैंक नौ वित्तीय संस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता रहा है। वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण वार्षिक रूप से किया जाता रहा है। वर्ष 2003-04 में सभी नौ वित्तीय संस्थाओं की 31 मार्च 2003 की स्थिति (एनएचबी को छोड़कर) के संदर्भ में पर्यवेक्षी प्रक्रिया शुरू की गई और पूरी की गई, जिसमें वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड को जापान का प्रस्तुतिकरण शामिल है।

5.18 जुलाई 1999 में समुचित पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली लागू करने के बाद किए गए विनियामक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सुझाव के आधार पर सितम्बर 2003 से संशोधित एफआइडी-ऑसमॉस लागू किया गया। अब वित्तीय संस्थाएं इस प्रयोजनार्थ उनको उपलब्ध कराए गए संशोधित साफ्टवेयर माडल का उपयोग करते हुए अप्रत्यक्ष विवरणी प्रस्तुत करती हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणी के आधार पर उनके निष्पादन की समीक्षा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जा रही है।

4. अन्य नीतिगत गतिविधियाँ

शेयर बाजारों में भारत सरकार की प्रतिभूतियों का कारोबार

5.19 सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में सभी वर्गों के निवेशकों की व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए शेयर बाजारों में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के कारोबार की राष्ट्रव्यापी, बेनामी, आदेश संचालित, स्क्रीन आधारित प्रणाली 16 जनवरी 2003 को शुरू की गई। लेकिन, अल्प बचत लिखत और बचत बाण्ड

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2003-04

जैसे बेहतर प्रतिलाभ वाले और पारस्परिक निधियों की यूनियों जैसी अधिक कर लाभ की विशेषता वाले वैकल्पिक निवेश के मार्ग की उपलब्धता के कारण इस खण्ड में सहभागिता नाममात्र की हुई। शेयर बाजारों में तरलता की कमी के कारण थोक कारोबार करनेवाली कंपनियों की सहभागिता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2004-05 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय समाशोधन निगम के अध्यक्ष डॉ. आर. एच. पाटिल की अध्यक्षता में सरकारी प्रतिभूतियों के स्क्रीन आधारित कारोबार के संबंध में एक कार्यदल बनाया गया, जिसे इस संबंध में अध्ययन करके अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश करनी थी कि शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबारी मोर्चे पर, विशेषकर फुटकर और मध्यवर्गीय निवेशकों के लिए बाजार में पहुँच बढ़ाने के लिए तरलता में वृद्धि कैसे की जाए। जैसे-जैसे शेयर बाजार आधारित कारोबारी मंच पर तरलता बढ़ेगी वैसे-वैसे यह बाजार सहभागियों को अन्य प्रभावी कारोबारी मंच उपलब्ध कराता जाएगा। व्यापक चर्चा के लिए दल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर डाली गयी है।

5. परिचालनों की समीक्षा

वित्तीय सहायता : स्वीकृति और संवितरण

5.20 2001-02 और 2002-03 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में

देखी गयी मंदी की प्रवृत्ति 2003-04 में उलट गई जिसमें निवेश संस्थाओं और कुछ हद तक विशेषज्ञ वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिखाए गए भारी सुधार से सहायता मिली (सारणी V.1 और चार्ट V.2)। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 2003-04 में क्रमशः कुल 21,974 करोड़ रुपए और 15,782 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ और संवितरण किये गए, जबकि वर्ष 2002-03 में यह राशि क्रमशः 4,333 करोड़ रुपए और 6,206 करोड़ रुपए की थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के संवितरण आइडीबीआई, आइडीएफसीआई, आइएफसीआई और आइआइबीआई के मिले-जुले संवितरणों से अधिक थे। संभवतः यह केवल पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों के बांडों में निवेश करने के बजाय सक्रिय रूप से ऋण प्रदान करने की ओर बढ़ने के रणनीतिगत बदलाव को दर्शाती है। प्रतिशत के तौर पर 2003-04 में भारतीय जीवन बीमा का अंश कुल स्वीकृतियों का 46 और कुल संवितरण का 49 प्रतिशत था। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि आइडीबीआई द्वारा बुनियादी क्षेत्र में की गई स्वीकृतियों और संवितरण में क्रमशः 288.2 प्रतिशत और 45.2 प्रतिशत की हुई तीव्र वृद्धि जो इस अवधि में इसकी कुल स्वीकृतियों और संवितरण का क्रमशः 43.9 प्रतिशत और 34.0 प्रतिशत है।

सारणी V.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता (वर्ष : अप्रैल-मार्च)

संस्था	(राशि करोड़ रुपए में)					
	2002-03		2003-04		2003-04 के दौरान प्रतिशत घट-बढ़	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7
क. अखिल भारतीय विकास बैंक (आइडीबीआई, आइएफसीआई, सिडबी, आइआइबीआई, आइडीएफसी)	22,272	17,225	23,407	14,057	5.1	-18.4
ख. विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थान (आइवीसीएफ, आइसीआईसीआई वेंचर, टीएफसीआई)	475	490	484	441	1.8	-10.1
ग. निवेश संस्थान (एलआईसी, जीआईसी #, यूटीआई)	5,965	7,902	23,705	17,402	297.4	120.2
घ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (क+ख+ग)	28,713	25,618	47,597	31,900	65.8	24.5

साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और उसकी सहयोगी संस्थाओं का डेटा शामिल।


टिप्पणियाँ: 1. सभी संस्थाओं के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. आइएफसीआई ने सूचित किया है कि खजाना परिचालन, ऋण का इक्विटी / अधिमान शेयर / डिबेंचर में परिवर्तन तथा साथ ही ऋण खातों की भुगतान सूची के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप निवल वर्तमान मूल्य की हानि पर विभेदक ब्याज संबंधी आंकड़े 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी स्वीकृतियों और संवितरणों में परिलक्षित नहीं होंगे।

3. यूटीआई अधिनियम को निरस्त किये जाने के साथ यूटीआई ने नवंबर 2002 से स्वीकृतियों और वितरणों के आंकड़े प्रस्तुत करना बंद कर दिया है। अतः, यूटीआई के 2002-03 के आंकड़े केवल सात महीनों अर्थात् अप्रैल 2002 से अक्टूबर 2002 तक के हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं, साधारण बीमा निगम और उसकी पूर्ववर्ती सहयोगी संस्थाओं तथा एसआईडीसी के लिए आईडीबीआई और राज्य वित्त निगमों के लिए सिडबी।

चार्ट V.2: एआइएफआइ द्वारा वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां



5.21 वित्तीय सहायता में परियोजना वित्त और गैर-परियोजना वित्त शामिल हैं। परियोजना वित्त में सावधि ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान तथा आस्थगित भुगतान गारंटी शामिल हैं, जबकि गैर-परियोजना वित्त में उपकरण वित्त, कंपनी ऋण, उपकरण पट्टेदारी, शेयर और डिबेंचरों / बांडों में निवेश / प्रत्यक्ष अभिदान शामिल हैं। 2003-04 में परियोजना वित्त विशेषकर भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी निवेश संस्थाओं से ऋण (रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण) में भारी वृद्धि हुई है (परिशिष्ट सारणी V.1)। इसके अलावा, 2003-04 में अखिल भारतीय विकास बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह के संकुचन में स्पष्ट कमी देखी गई (सारणी V.2)। विनिर्माण उद्योग में हुई वृद्धि के कारण औद्योगिक वृद्धि में आई मजबूती देशी और विदेशी मांग की स्थिति में आए सुधार को दर्शाती है तथा अनेक मध्यवर्ती निविष्टियों पर उत्पाद शुल्क में की गई कमी ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित परियोजना वित्त में हुई वृद्धि में योगदान किया होगा।

5.22 परिचालन वातावरण में आए बदलाव ने भी वित्तीय संस्थाओं के आस्ति संविभाग का पुनर्संरखन अनिवार्य कर दिया है। मार्जिन कम हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर मूल्यवर्धित विशेषता से युक्त उत्पाद और सेवा उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया। अधिकांश वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उत्पाद परियोजना वित्त बना रहने के कारण ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अनेक नये उत्पादों का विकास किया गया है। बुनियादी सुविधा खण्ड में निवेश की भारी आवश्यकता की दृष्टि से बुनियादी क्षेत्र निधीयन एक बड़ा संभाव्य वृद्धि क्षेत्र बन गया है, जबकि पारंपरिक आर्थिक क्षेत्र का अंश कम हो गया है। इसी

सारणी V.2: अखिल भारतीय विकास बैंकों से कंपनी क्षेत्र को संसाधनों का प्रवाह

(करोड़ रुपए)

मद	2002-03	2003-04
1	2	3
स्वीकृतियां	22,272	23,407
संवितरण	17,225	14,057
ऋण (1+2+3+4)	-6,021	-2,845
1. संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक/शेयरों/बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश	-766	-151
2. औद्योगिक प्रतिष्ठानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ऋण और अग्रिम*	-3,804	-2,525
3. विनिमय बिल तथा भुनाए गए और दुबारा भुनाए गए वचन-पत्र	-1,546	-191
4. अन्य (गैर-निधिकृत सहायता)	95	22

* ऋण सीमा (लाइन्स ऑफ क्रेडिट) / क्रेता के ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये ऋण और अग्रिमों को शामिल नहीं किया गया है।

समय, आइडीबीआइ जैसी वित्तीय संस्थाओं ने कार्यशील पूंजी और अपने मौजूदा ऋणकर्ताओं की अल्पावधि आवश्यकता की पूर्ति करना शुरू किया है। हालाँकि अखिल भारतीय विकास बैंकों द्वारा कंपनी क्षेत्र को दी गई स्वीकृतियों और संवितरण में सुधार हुआ है, लेकिन 2003-04 के दौरान कंपनी क्षेत्र को उनसे संसाधनों का निवल प्रवाह ऋणात्मक बना रहा, जिसका कारण संभवतः परियोजना वित्त के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों का उभरना और एआइएफआइ द्वारा उच्चतर शोधन का होना है।

5.23 आइडीएफसी द्वारा 2003-04 में बुनियादी क्षेत्र को दी गई स्वीकृतियों और संवितरण में भारी वृद्धि एक उत्साहजनक गतिविधि है। आइडीएफसी ने अपने व्यापक क्षेत्र का विस्तार किया है। शुरू में बिजली, सड़क, बन्दरगाह और दूरसंचार पर ध्यान केन्द्रित किया गया लेकिन अब ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, एकीकृत परिवहन, शहरी बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और कृषि व्यवसाय संबंधी बुनियादी क्षेत्र, शिक्षा संबंधी बुनियादी क्षेत्र और पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। 2003-04 में आइडीएफसी की स्वीकृतियां 148.5 प्रतिशत बढ़कर 2002-03 के 2,304 करोड़ रुपए के मुकाबले 5,727 करोड़ रुपए की हो गई और संवितरण 184.7 प्रतिशत बढ़कर 2002-03 के 950 करोड़ रुपए से 2003-04 में 2,704 करोड़ रुपए हो गये। बुनियादी क्षेत्र में आइडीएफसी के जिन क्षेत्रों में भारी वृद्धि हुई उनमें ऊर्जा (308 प्रतिशत), दूरसंचार (172 प्रतिशत), परिवहन (81 प्रतिशत) और शहरी बुनियादी संरचना क्षेत्र (2,260 प्रतिशत) प्रमुख हैं (परिशिष्ट सारणी V.2)।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2003-04

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं की संरचना

5.24 एक समूह के रूप में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2003-04 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी V.3)। देयताओं की व्यापक प्रवृत्ति कमोबेश वैसी ही बनी रही। उनकी आंतरिक नमनीयता और विपणन-योग्यता के कारण बांड / डिबेंचर सबसे बड़ा घटक बना रहा। जमाराशियों के अंश में गिरावट पायी गयी। वित्तीय संस्थाओं को ब्याज दर की प्रवृत्ति उलटने की आशा थी, जिससे उन्होंने अल्पावधि जमा देयताओं में कमी की। तथापि, उधार राशियों का अंश उसी स्तर पर बना रहा।

5.25 आस्तियों की संरचना ने भी किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत नहीं दिया है। ऋण और अग्रिम के हिस्से में, जो सर्वाधिक बड़ा घटक है, अन्य बातों के साथ-साथ बढ़े हुए प्रावधानीकरण तथा उधारकर्ताओं द्वारा उच्चतर समयपूर्व भुगतान/चुकौती के कारण स्वीकृतियों में वृद्धि के बावजूद संवितरण में आयी कमी के कारण, गिरावट दर्ज की गयी। दूसरी ओर 2003-04 के दौरान निवेश का हिस्सा पूंजी बाजार में सुदृढ़ तथा व्यापक आधारवाली तेजी के कारण काफी बढ़ा जिससे इक्विटी मूल्य में वृद्धि और बाजार पूंजीकरण में वृद्धि का संकेत मिला।

निधियों के स्रोत और उपयोग

5.26 वित्तीय संस्थाओं की निधियों के कुल स्रोत तथा विनियोजन में पिछले वर्ष के 2.1 प्रतिशत की कमी की तुलना में 2003-04 के दौरान उल्लेखनीय 26.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों निधियों में वृद्धि दर्ज की गयी। पिछले उधारों की चुकौती में प्रत्यक्ष रूप से गिरते हुए ब्याज दर को देखते हुए पहले के उच्च लागतवाले ऋण को सस्ते ऋण से बदलने के कारण भी वृद्धि हुई। अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज भुगतान में कमी के कारण अन्य विनियोजनों में कमी दर्ज की गयी (सारणी V.4 तथा परिशिष्ट सारणी V.3)।

5.27 नए विनियोजन का हिस्सा कमोबेश आंतरिक निधि के बराबर है, जबकि पिछले उधारों की चुकौती तथा अन्य विनियोजनों का संयुक्त हिस्सा निधियों के बाह्य और अन्य स्रोत के बराबर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां आंतरिक निधि का उपयोग नए निवेश सहित नए विनियोजन के प्रयोजन से किया जा रहा है, वहीं निधियों के बाह्य और अन्य स्रोतों का उपयोग पिछले ऋण की चुकौती के लिए किया जा रहा है (परिशिष्ट सारणी V.3)।

सारणी V.3 : वित्तीय संस्थाओं की देयताओं और आस्तियों का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत तक बकाया		वितरण (प्रतिशत)	
	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
देयताएं	1,83,714	1,97,064	100.0	100.0
पूंजी	6,784	6,784	3.7	3.4
प्रारक्षित निधि	18,221	20,151	9.9	10.2
बांड और डिबेंचर	89,640	97,512	48.8	49.5
जमा	20,144	20,699	11.0	10.5
उधार	21,862	23,722	11.9	12.0
अन्य देयताएं	27,062	28,196	14.7	14.3
आस्तियां	1,83,714	1,97,064	100.0	100.0
नकदी	8,027	15,308	4.4	7.8
निवेश	21,726	32,047	11.8	16.3
ऋण और अग्रिम	1,36,819	1,33,061	74.5	67.5
भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल	1,605	1,218	0.9	0.6
अचल आस्तियां	2,975	1,816	1.6	0.9
अन्य आस्तियां	12,562	13,614	6.8	6.9

टिप्पणी : 1. आंकड़ों में आइडीबीआई, आइएफसीआई, टीएफसीआई, आइडीएफसी, आइआईबीआई, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी शामिल हैं।
2. आंकड़े अर्न्तम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र।

सारणी V.4 : वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत का स्वरूप और विनियोजन *

(राशि करोड़ रुपये में)

निधियों का स्रोत/ विनियोजन	2002-03		2003-04	
	राशि	हिस्सा (प्रतिशत)	राशि	हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
निधियों का स्रोत	95,562	100.0	1,20,936	100.0
आंतरिक	49,048	51.3	75,537	62.5
बाह्य	32,280	33.8	41,706	34.5
अन्य	14,234	14.9	3,694	3.0
निधियों का विनियोजन	95,562	100.0	1,20,936	100.0
नए विनियोजन	52,028	54.4	73,173	60.5
पिछले उधारों की चुकौती	17,478	18.3	26,237	21.7
अन्य विनियोजन	26,056	27.3	21,525	17.8
जिसमें से : ब्याज भुगतान	10,733	11.2	10,326	8.5

* आइडीबीआई, आइएफसीआई, आइआइबीआई, आइडीएफसी, टीएफसीआई, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां

5.28 2003-04 के दौरान अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों की वृद्धि की तीव्र गति रही। तथापि, एआईएफआई की वित्तीय आस्तियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में काफी कम वृद्धि हुई। निरंतर घाटे के कारण आइएफसीआई और आइआइबीआई की वित्तीय आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में स्पष्ट कमी आयी। नाबार्ड के मामले में वित्तीय आस्तियों में अधिकतम (स्पष्ट) वृद्धि देखी गयी तथा उसके बाद आइडीबीआई, एक्जिम बैंक, आइडीएफसी और एनएचबी का स्थान रहा [सारणी V.5, परिशिष्ट सारणी V.4(क) तथा परिशिष्ट सारणी V.4(ख)]।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.29 एक समूह के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का कार्य-निष्पादन मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान खराब बना रहा। स्प्रेड (निवल ब्याज आय) तथा परिचालन लाभ दोनों में निरपेक्ष संदर्भ में तथा कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में भी कमी आयी। तथापि, बैंक और वित्तीय क्षेत्र के अन्य खण्डों में पायी गयी प्रवृत्ति के अनुसार ब्याजेतर आय ने तीव्र वृद्धि दर्ज की। आइएफसीआई तथा आइआइबीआई लि. को होनेवाली परिचालनगत हानि जारी रही। इन दो संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं ने सकारात्मक परिचालन और निवल लाभ दर्ज किया। परिचालन लागत में कमी के बावजूद कर के प्रावधानों में काफी कमी के कारण निवल लाभ में बढ़ोतरी हुई (सारणी V.6)।

5.30 आइएफसीआई ने 2002-03 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा प्रति कर्मचारी निवल लाभ में सुधार दर्ज किया जबकि समीक्षाधीन

सारणी V.5: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय आस्तियां*

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

1	2003-04 के दौरान		4
	2003	2004	
	2	3	घट-बढ़
क. अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं	1,80,740	1,95,247	14,507 (8.0)
ख. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक #	14,01,682	16,39,595	2,37,913 (17.0)
ग. कुल (क+ख)	15,82,422	18,34,842	2,52,420 (16.0)
<i>ज्ञापन :</i>			
कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय संस्थानों की	11.4	10.6	
आस्तियां कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में एससीबी की आस्तियां	88.6	89.4	

* निवेश, ऋण और अग्रिम, मुद्रा बाजार आस्तियां, जमाराशि, उपलब्ध नकद तथा बैंकों में शेष और अचल आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां सम्मिलित है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम - 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणी के अनुसार तथा उपलब्ध नकद तथा बैंकिंग व्यवस्था में शेष, निवेश, बैंक ऋण तथा बैंकों से देय सम्मिलित है। इसलिए इसमें गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश, विदेशी मुद्रा आस्तियां तथा बैंक भण्डार सम्मिलित नहीं है।

टिप्पणी : कोषकों के आंकड़े प्रतिशत परिवर्तन है।

अवधि के दौरान गिरावट देखी गयी (परिशिष्ट सारणी V.5) जो उनके पुनर्संरचना पैकेज के कारण हुआ। मैकिन्से और कं. की सिफारिशों के अनुसार आइएफसीआई गैर-निष्पादक आस्तियों को आस्ति पुनर्संरचना कंपनी को देने के अंतिम उद्देश्य से अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों को अलग करने के लिए प्रयास कर रहा है तथा वर्तमान पोर्टफोलियों की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।

सारणी V.6: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन@

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2002-03	2003-04	2003-04 के दौरान घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क+ख)	15,763	14,783	-981	-6.6
क) ब्याज आय	13,169	11,314	-1,855	-16.4
ख) ब्याजतर आय	2,595	3,469	874	25.2
2. व्यय (क+ख)	13,182	12,241	-941	-7.7
क) ब्याज व्यय	11,825	10,918	-907	-8.3
ख) अन्य व्यय	1,358	1,323	-34	-2.6
जिसमें से : मजदूरी बिल	391	502	111	22.0
ग) कराधान के लिए प्रावधान	960	730	-230	-31.5
3. लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	2,581	2,542	-40	-1.6
निवल लाभ (पीएटी)	1,621	1,811	190	10.5
4. वित्तीय अनुपात *				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.4	1.3		
निवल लाभ (पीएटी)	0.9	0.9		
आय	8.7	7.5		
ब्याज आय	7.2	5.7		
अन्य आय	1.4	1.8		
व्यय	7.2	6.2		
ब्याज व्यय	6.5	5.5		
अन्य परिचालन व्यय	0.7	0.7		
मजदूरी बिल	0.2	0.3		
प्रावधान	0.5	0.4		
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	0.7	0.2		

@ इसमें आइडीबीआई, आइएफसीआई, टीएफसीआई, आइआइबीआई, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी सम्मिलित है।

* कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में

टिप्पणी : 1. परिचालन लाभ कराधान/कर के लिए प्रावधान (पीबीटी) पूर्व लाभ का उल्लेख करता है।

2. निवल लाभ कर प्रावधान पश्चात लाभ का उल्लेख करता है।

3. आइडीबीआई के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं का वार्षिक लेख ।


वित्तीय संस्थाओं के शेयरों (स्क्रिप्स)/स्टॉक का कार्य-निष्पादन

5.31 रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली नौ वित्तीय संस्थाओं में से दो वित्तीय संस्थाएं (यथा आइडीबीआई तथा आइएफसीआई) बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हैं। आइडीबीआई तथा आइएफसीआई के स्टॉक के निष्पादन से स्पष्ट होता है कि दोनों स्टॉक 2002-03 के दौरान खराब दौर से गुजरे। 2003-04 के दौरान अप्रैल 2003 से जनवरी 2004 तक दोनों स्टॉक का कार्य-निष्पादन बीएसई संसूचकांक में देखी गयी तेजी के अनुरूप अच्छा रहा। तथापि, जनवरी 2004 के बाद दोनों शेयरों (स्क्रिप) के मामले में कुछ सुधार देखा गया। चालू वर्ष के दौरान (मई 2004 से अगस्त 2004 तक) आइडीबीआई के शेयरों ने बीएसई संवेदी सूचकांक को पीछे छोड़ दिया, जबकि आइएफसीआई के शेयरों में अधोगामी प्रवृत्ति देखी गयी। आइडीबीआई के शेयरों में ऊर्ध्वगामी सुधार, आइडीबीआई की पुनर्संरचना के लिए सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के कारण हो सकता है (चार्ट V.3)।

मूल उधार दर (पीएलआर)

5.32 2003-04 के दौरान आमतौर पर कम होते ब्याज दर के अनुरूप आइडीबीआई की दीर्घावधि पीएलआर समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम हुई। साथ ही, आइडीबीआई के लिए अल्पावधि पीएलआर को मध्यावधि पीएलआर में मिला कर एक कर दिया गया। हाल ही में, आइडीबीआई ने नए कारोबार प्राप्त करने तथा अच्छे निष्पादन वाले ग्राहकों को बनाए रखने और उन्हें वापस लाने के प्रयोजन से अपने आस्ति संविभाग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई सक्रिय उपाय शुरू किए हैं। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, आइडीबीआई ने अपने पीएलआर को कम कर दिया है। इसके साथ ही आइडीबीआई प्रचलित ब्याज दर व्यवस्था के अनुरूप अपनी ब्याज दर को मोटे तौर पर लाने के मद्देनजर अपने संविभाग में वर्तमान ग्राहकों को, क्रेडिट रेटिंग के आधार पर, विभिन्न स्तरों पर रुपया ब्याज दर में परिवर्तन प्रदान कर रहा है। आइएफसीआई के मामले में पीएलआर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी V.7)।

चार्ट V.3: बीएसई में आइएफसीआइ और आइडीबीआइ का कार्यानिष्पादन



पूंजी-पर्याप्तता

5.33 न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने के संदर्भ में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं को निष्पादन सारणी V.8 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि आइएफसीआइ और आइडीबीआइ को छोड़कर अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर मार्च 2004 के अंत में निर्धारित 9 प्रतिशत के निर्दिष्ट मानदंड से काफी अधिक था। आइएफसीआइ के मामले में मानक आस्तियों के बड़े पैमाने पर गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में चले जाने से निर्मित उच्च गैर-निष्पादक आस्तियां अतिरिक्त प्रावधानीकरण के प्रभाव को समाप्त कर रही है जिसके फलस्वरूप नकदी प्रवाह में कमी की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके परिणामस्वरूप देयताओं की पुनर्संरचना की गयी। इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ उनकी हानि से आस्तियों

सारणी V.7: प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की उधार दर संरचना

(प्रतिशत वार्षिक)

से प्रभावी	पीएल आर	आइडीबीआइ	आइएफसीआइ
1	2	3	4
मार्च-2002	दीर्घावधि पीएलआर	11.5	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
जुलाई-2002	दीर्घावधि पीएलआर	10.7	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
मार्च-2003	दीर्घावधि पीएलआर	10.2	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
जुलाई -2003	दीर्घावधि पीएलआर	9.6	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
मार्च -2004	दीर्घावधि पीएलआर	8.9	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	10.3	—
	अल्पावधि पीएलआर*	—	12.5

* आइडीबीआइ के मामले में मध्यावधि पीएलआर में मिला दिया गया।

और देयताओं में असंगति उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप आइएफसीआइ की पूंजी में हास हुआ। इसी प्रकार आइडीबीआइ के मामले में बढ़ती हुई गैर-निष्पादक आस्तियां और उसके प्रावधानीकरण के साथ-साथ घटती हुई लाभप्रदता की समस्या ऋणात्मक सीआरएआर के कुछ कारक थे।

गैर-निष्पादक आस्तियां

5.34 परियोजनाओं के समय और लागत में बेतहाशा वृद्धि, मानक आस्तियों में कमी, गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित कानूनी व्यय में वृद्धि, सहायता-प्राप्त इकाइयों की प्रमुख आस्तियों की हानि, क्रेडिट संविभाग के संकुचन के कारण 2003-04 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में बढ़ोतरी जारी रही (सारणी V.9 और परिशिष्ट सारणी V.6)।

सारणी V.8: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात* (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8
आइडीबीआइ	13.7	12.7	14.5	15.8	17.9	18.7	18.3
आइएफसीआइ	11.6	8.4	8.8	6.2	3.1	0.95	-17.0
आइडीबीआइ	12.8	11.7	9.7	13.9	9.2	-11.0	-20.1
आइडीएफसी	N.A.	235.5	119.7	85.5	56.7	51.3	36.9
एफ़िज़म बैंक	30.5	23.6	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5
टीएफसीआइ	16.4	15.4	16.2	18.6	18.5	19.8	22.8
सिडबी	30.3	26.9	27.8	28.1	45.0	44.0	51.6
नाबार्ड	52.5	53.3	44.4	38.5	36.9	39.1	39.4
एनएचबी	16.7	17.3	16.5	16.8	22.1	22.3	31.9

* प्रावधानीकरण तथा बट्टे खाते में डाली गयी राशि को घटाकर
 स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

सारणी V.9: निवल गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए) *
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्थान	निवल एनपीए		निवल एनपीए/निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2003	2004	2003	2004
1	2	3	4	5
आवधिक ऋण देनेवाली संस्थाएं	12,818	13,632		
आइडीबीआई	7,157	8,693	15.8	21.1
आइएफसीआई	4,559	3,865	29.5	32.3
आइआइबीआई	915	800	34.7	38.0
आइडीएफसी	3	0	0.1	0.0
एक्विजि बैंक	184	129	2.3	1.3
टीएफसीआई	153	145	20.4	21.1
पुनर्वित्तपोषण करने वाली वित्तीय संस्थाएं	473	227		
सिडबी	472	226	3.8	2.4
नाबार्ड	1	1	0.0	0.0
एनएचबी	0	0	0.0	0.0

स्रोत : वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणी।

गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

5.35 वर्ष 2003-04 के दौरान नौ वित्तीय संस्थाओं की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां पिछले वर्ष की तुलना में निम्न दर से बढ़ी। वित्तीय संस्थाएं विविध उपायों के जरिए गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या को प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए समेकित प्रयास कर रही हैं जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : एसएआरएफई/एसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत समझौता तथा वार्तालय निपटान, ऋण का पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचना, वसूली का आश्रय लेना; एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना का कार्यान्वयन; आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (एआरसी) की स्थापना तथा ऋण वसूली प्राधिकरण के जरिए वसूली। 31 मार्च 2004 तक 653 मामलों पर विचार किया गया जिसमें 9,448 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित थी, जिसमें से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 844 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गयी।

चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाण्ड/डिबेंचरों के जरिए संसाधनों का संग्रहण

5.36 2003-04 के दौरान चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (तत्कालीन आइसीआईसीआई लि. को छोड़कर) रुपया बाण्ड/डिबेंचर (निजी स्थानन तथा सार्वजनिक निर्गम सहित) के जरिए एकत्रित कुल संसाधन पिछले मार्चांत वर्ष 2003 के 14,144 करोड़ रुपए की तुलना में 23,419 करोड़ रुपए का था (सारणी V.10)। पिछले वर्ष की तरह कम ब्याज दर का लाभ उठाते हुए आइडीबीआई, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी तथा आइडीएफसी जैसी वित्तीय संस्थाओं ने चालू वर्ष के दौरान भरपूर

धनराशि जुटायी हैं। तथापि, बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के कारण आइएफसीआई तथा आइआईबीआई को (18 सितंबर 2003 से) बाजार से और उधार लेने की अनुमति नहीं दी गयी। चूंकि आइएफसीआई अपने खजाना परिचालनों तथा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भविष्य निधि के साथ वित्त पुनर्संरचना पैकेज से प्राप्त राशि का पुनर्निवेश कर रहा है, इसलिए वह अपने उधार की लागत को प्रभावी तरीके से कम करने में सफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप आइएफसीआई की बकाया उधार राशि में मार्च 2003 के अंत की तुलना में मार्च 2004 की समाप्ति पर कमी देखी गयी। आइआईबीआई और टीएफसीआई भी अपने बकाया उधारों को कम करने में सफल रहा है। तथापि, सभी वित्तीय संस्थाओं की कुल बकाया उधार राशि बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 1,05, 677 करोड़ रुपए हो गयी जबकि मार्च 2003 के अंत में यह 90,060 करोड़ रुपए थी जो वित्तीय संस्थाओं के कुल आस्ति आधार का लगभग 53.6 प्रतिशत है (सारणी V.10 तथा परिशिष्ट सारणी V.7)।

5.37 वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये कुल संसाधनों में निजी स्थानन संसाधनों के संग्रहण का एक प्रमुख तरीका बना रहा जिसमें संसाधन संग्रहण के संदर्भ में लेन-देन लागत कम है तथा यह कम समय लेता है। पिछले वर्ष की तुलना में आइडीबीआई द्वारा 2003-04 के दौरान सार्वजनिक निर्गम तथा निजी स्थानन बाजार दोनों से जुटाये गये संसाधन संग्रहण में वृद्धि हुई। तथापि 2003-04 के दौरान निधि अपेक्षाओं के लिए आइडीबीआई की निजी स्थानन बाजार पर निर्भरता सार्वजनिक निर्गम बाजार की तुलना में काफी बढ़ी (सारणी V.11)। आइएफसीआई संसाधन संग्रहण के लिए केवल निजी स्थानन बाजार पर निर्भर रहा।

**सारणी V.10: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा
रुपया बाण्ड / डिबेंचर * के जरिए जुटाये गये संसाधन**

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	जुटाये गये संसाधन		बकाया (मार्च अंत)	
	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
आइडीबीआई	5,009	10,477	41,798	46,967
आइएफसीआई	267	-	20,203	17,564
आइआइबीआई	44	176	2,566	2,281
एक्विजि बैंक	2,505	2,025	5,424	11,920
नाबार्ड	2,988	5,334	8,702	11,883
एनएचबी	1,877	2,526	4,675	6,958
सिडबी	961	1,429	4,692	5,428
टीएफसीआई	93	102	600	426
आइडीएफसी	400	1,350	1,400	2,250
कुल	14,144	23,419	90,060	1,05,677

* केवल रुपया संसाधन सम्मिलित है तथा विदेशी मुद्रा उधार सम्मिलित नहीं है।
 आंकड़ा अनंतिम है।
 - 'कुछ नहीं'
 स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थान

5.38 2003-04 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधनों की भारत औसत ब्याज दर कम हुई जबकि जारी लिखतों की भारत औसत परिपक्वता बढ़ी (सारणी V.12 तथा परिशिष्ट सारणी V.8)।

वित्तीय संस्थाओं का मुद्रा बाजार परिचालन

5.39 वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार लिखतों के जरिए जुटाये गये संसाधनों की औसत कुल राशि 2002-03 के 6,467 करोड़ रुपए (सीमाओं का 25.4 प्रतिशत) से कम होकर 2003-04 के लिए 6,035 करोड़ रुपए (सीमा का 25.6 प्रतिशत) हो

गयी (सारणी V.13)। वर्ष 2003-04 के दौरान सावधि जमाराशियां सर्वाधिक पसंदीदा लिखत रहें तथा इसके बाद वाणिज्यिक पत्र (सीपी), अंतर-कंपनी जमाराशियां (आइसीडी), जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) और सावधि मुद्रा का स्थान था।

वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता

5.40 भारतीय रिजर्व बैंक अपना अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित करने से पहले दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि में से औद्योगिक और कृषि वित्त संस्थाओं को ऋण देता था। 1992-93

**सारणी V.11: प्रमुख विकास वित्त संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम/
निजी स्थानन/बाण्ड/डिबेंचर के जरिए जुटाये गये संसाधन**

(राशि करोड़ रुपए में)

निर्गम का प्रकार	आइडीबीआई		आइएफसीआई		कुल	
	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक निर्गम	2,216 (42.4)	2,930 (29.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2,216 (35.8)	2,930 (28.9)
निजी स्थानन	3,008 (57.6)	6,942 (70.3)	965 (100.0)	267 (100.0)	3,973 (64.2)	7,209 (71.1)
कुल	5,224 (100.0)	9,872 (100.0)	965 (100.0)	267 (100.0)	6,189 (100.0)	10,139 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल संसाधन संग्रहण में प्रतिशत हिस्सा को इंगित करते हैं।

सारणी V.12: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड/डिबेंचरों के जरिए जुटाये गये संसाधनों की भारत औसत लागत/परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
आइडीबीआइ	8.5	6.5	4.3	5.1
आइआइबीआइ	9.6	8.7	8.7	18.0
आइएफसीआइ	9.6	8.2	2.2	3.2
टीएफसीआइ	8.5	8.6	10.0	10.0
एक्विजम बैंक	8.9	5.9	6.1	6.7
आइडीएफसी	7.6	5.6	5.6	5.9
सिडबी	6.5	4.9	2.3	2.8
नाबार्ड	6.1	5.4	5.4	5.4
एनएचबी	6.4	5.4	4.0	3.2

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थान।

के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद उपर्युक्त प्रथा बंद कर दी गई। तदनुसार, 1992-93 से रिजर्व बैंक उक्त निधि में सिर्फ सांकेतिक अंशदान कर रहा है (सारणी V.14)।

5.41 2002-03 (जुलाई-जून) के दौरान रिजर्व बैंक ने किसी भी वित्तीय संस्था को कोई भी दीर्घावधि सहायता स्वीकृत नहीं की थी। जहां जून 2004 की समाप्ति पर एनआइसी (एलटीओ) निधि के तहत किसी भी वित्तीय संस्था पर बकाया दीर्घावधि उधार नहीं थे, वहीं जून 2004 की समाप्ति पर एनएचबी (एलटीओ) निधि के तहत एनएचबी पर 50 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था। कुल 175 करोड़ रुपये में से एनएचबी ने मई 2004 के दौरान रिजर्व बैंक को 125 करोड़ रुपये की चुकौती की है।

5.42 रिजर्व बैंक ने 2003-04 के दौरान राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को बैंक दर पर 12 माह हेतु (जुलाई-जून) कुल 180

करोड़ रुपये की तदर्थ उधार सीमाएं स्वीकृत की। ये सीमाएं अधिकतम 6 माह की अवधि तक बढ़ाई गई। ये अल्पावधि वित्तीय निभाव एसएफसी द्वारा जारी तदर्थ बांडों की जमानत से समर्थित थे और संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गारंटीकृत थे। तथापि, जून 2004 के अंत में, एसएफसी के प्रति कोई मध्यावधि/अल्पावधि ऋण बकाया नहीं था।

5.43 प्रमुख वित्तीय संस्थाएं अर्थात् आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, सिडबी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और उद्यम के नाजुक चरणों के दौरान उन्हें सहायता करने की दृष्टि से उद्यम पूंजी निधीयन कार्य कर रहे हैं। वित्तीय संस्थाएं देशी तकनीक के वाणिज्यिक प्रयोग या आयातित तकनीक अपनाने, नए उत्पादों तथा सेवाओं के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) क्षेत्र सहित उच्च जोखिम वाले व्यवहार्य उद्यमों के विकास हेतु ठोस संभाव्यता धारण

सारणी V.13: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2002-03	2003-04
1	2	3
सावधि जमाराशि	1,548	2,206
सावधि मुद्रा	373	245
अंतर कंपनी जमाराशि	3,078	1,329
जमा प्रमाणपत्र	504	408
वाणिज्यिक पत्र	964	1,847
कुल	6,467	6,035
सीमाओं का प्रतिशत	25.6	25.4

सारणी V.14: वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

सहायता का प्रकार (बकाया)	30 जून 2003	30 जून 2004
1	2	3
दीर्घावधि ऋण [एनएचबी(एलटीओ) निधि]		
एनएचबी	175	50
मध्यावधि / अल्पावधि ऋण एसएफसी	17	-
कुल	192	50

करने को भी प्रोत्साहित करते हैं। वैसे ही, वित्तीय कंपनियों को तकनीकी विकास के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने का दायित्व भी सौंपा गया है। भारत सरकार ने अप्रैल 1999 में वस्त्र व पटसन उद्योगों के लिए तकनीकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रारंभ की जोकि मार्च 2007 तक शुरू रहेगी। इस योजना का लक्ष्य है वस्त्रोद्योग में आधुनिकतम या उसकी निकटतम तकनीक लागू करना। टीयूएफएस के तहत वस्त्रोद्योग (गैर लघु उद्योग) और वस्त्रोद्योग (लघु उद्योग) की सहायता के लिए क्रमशः आइडीबीआई और सिडबी प्रमुख एजेंसी है जबकि पटसन उद्योग के लिए आइएफसीआई प्रमुख एजेंसी है।

6. वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन

यूनिवर्सल बैंकिंग में रूपांतरण

5.44 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच कार्य की अस्पष्टता के कारण बैंक का कारोबारी स्वरूप वित्तीय संस्थाओं के लिए भी लागू करना बढ़ता जा रहा है। तदनुसार, आइडीबीआई तथा आइएफसीआई जैसी वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की दिशा में कार्य हो रहा है। आइसीआईसीआई का 30 मार्च 2002 को आइसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ विलयन विकास वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के उपाय के रूप में उनके सर्वव्यापी बैंकों में रूपांतरण की शुरुआत थी। यूनिवर्सल बैंक न केवल परंपरागत बैंकिंग करेंगे, बल्कि निवेश बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्य भी करेंगे। आइसीआईसीआई के आइसीआईसीआई बैंक के साथ विलयन के समय से देश की प्रमुख विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) अर्थात् आइएफसीआई और आइआईबीआई के रूपांतरण की दिशा में भी वैसे ही प्रयास जारी हैं। केंद्रीय बजट 2004-05 में यह संकेत किया गया है कि आइएफसीआई की अनर्जक आस्तियां आस्तित्व पुनर्गठन कंपनी को अंतरित करके और उसका किसी बृहत सरकारी क्षेत्र के बैंक के साथ विलयन करके उसका पुनर्गठन किया जाएगा।

5.45 नब्बे के दशक की प्रारंभिक अवधि में सुधारात्मक पहल से उपजे परिवर्तनशील कार्य वातावरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने आइडीबीआई के परंपरागत विकास वित्त के दायित्वों को अपरिवर्तित रखते हुए उसे वाणिज्य बैंक में रूपांतरित करने का निर्णय लिया। वाणिज्य बैंकिंग के नए कारबार स्वरूप में अंतरण से, जिससे कम लागत की चालू/बचत बैंक जमाराशि सुलभ हो जाएगी, वह न केवल विकास वित्त के चालू कारोबार स्वरूप की अधिकांश सीमाओं से उलट जाएगा, बल्कि उसी के साथ-साथ विभिन्न खुदरा देयता उत्पादों के प्रस्ताव देकर अपने ग्राहक/आस्तित्व आधार में विविधता लाने में उसे मदद भी मिलेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु

आइडीबीआई (उपक्रम अंतरण तथा निरसन) अधिनियम 2003 दिसम्बर 2003 में अधिनियमित किया गया जो कि 2 जुलाई 2004 से लागू हुआ। उक्त अधिनियम में आइडीबीआई अधिनियम के निरसन, आइडीबीआई (अधिकांश सरकारी धारिता) के निगमन और वाणिज्य बैंक में रूपांतरण के प्रावधान हैं। 29 जुलाई 2004 को आइडीबीआई और आइडीबीआई बैंक के विलयन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। 1 अक्टूबर 2004 को आइडीबीआई आइडीबीआई लिमि. हो गया और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत 'अनुसूचित बैंक' होने के कारण वह उसके द्वारा संप्रति किए जा रहे कारोबार के अलावा बैंकिंग कारोबार क्षेत्र में भी प्रवेश करने हेतु पात्र है।

5.46 इस संबंध में, भारत सरकार ने दबावग्रस्त आस्तित्व स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) स्थापित करने के आइडीबीआई के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदन दे दिया है जिसमें आइडीबीआई द्वारा उसकी 9,000 करोड़ रुपये की दबावग्रस्त आस्तियां एसएएसएफ को अंतरित की जाएंगी। यह अंतरण भारत सरकार द्वारा एसएएसएफ के पक्ष में नकदी/बजट निरपेक्ष आधार पर जारी समतुल्य राशि के 20 वर्षीय बांडों के अंतरण की जमानत पर होगा। इस उपाय से आइडीबीआई के संविभाग में महत्वपूर्ण सुधार होने के अलावा दीर्घावधि में निर्धारित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली में भी सहायता मिलेगी।

5.47 आइएफसीआई के निदेशक मंडल ने उसके विलयन को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है जिससे सर्वव्यापी बैंकिंग की दिशा में प्रगति आसानी से होने की अपेक्षा है। आइएफसीआई ने वर्ष के दौरान सलाहकार सेवा कारोबार का विस्तार करने पर फिर से बल देना जारी रखा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने आइएफसीआई की कुछ देयताएं लेने का निर्णय पहले ही ले लिया है और तदनुसार रिजर्व बैंक ने आइएफसीआई की पुनर्गठित देयताओं के लिए कुछ विनियामक छूट उपलब्ध करायी है।

5.48 उत्पादन के वैश्विक स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता के मद्देनजर, विद्यमान कंपनियों के विस्तार और विविधीकरण कार्यक्रम के निधीयन की भी प्रमुख कारोबारी लक्ष्य के रूप में पहचान की गई है। प्रतिस्पर्धा से मार्जिन पर दबाव बढ़ने और मध्यस्थों की समाप्ति से सावधि उधार की गुंजाइश परिवर्तित होने से वित्तीय संस्थाओं ने वणििक बैंकिंग और कंपनी सलाहकार सेवाओं जैसे शुल्क आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी है।

5.49 2002 में अधिनियमित एसएआरएफईएसआई अधिनियम ने सावधि उधार दाता संस्थाओं द्वारा एनपीए संबंधी कार्य किए जाने के लिए सक्षमताकारी न्यायिक / विनियामक वातावरण उपलब्ध कराया है। उक्त अधिनियम के तहत, वित्तीय संस्थाएं अब चूककर्ता

उधारकर्ताओं की आस्तियां जब्त कर सकती हैं जिसके लिए उन्हें एनपीए की वसूली हेतु न्यायालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। वित्तीय संस्थाओं को आनेवाली एनपीए संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतिकरण कंपनियों/आस्ति प्रबंधन कंपनियों/आस्ति पुनर्चना कंपनियों, जो कि एनपीए की भारी राशि वाले बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों की आस्तियां खरीदती हैं, की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है (बाक्स V.3 तथा बाक्स V.4)।

7. अन्य गतिविधियां

5.50 8 जुलाई 2004 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2004-05 में वित्तीय क्षेत्र के सहभागियों हेतु अनेक सकारात्मक उपाय दिए गए हैं। आइडीबीआई और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के प्रस्तावित अंतर-संस्थागत समूह (आइआइजी) के 40,000 करोड़

रुपये के समूहगत निवेश के मार्फत मूलभूत सुविधा विकास पर केंद्रित ध्यान से उनकी कारोबारी-मात्रा में तेजी आने की आशा है।

कंपनी ऋण पुनर्संरचना तंत्र

5.51 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर भारत में कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रणाली विकसित की गई थी। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन हेतु 2001 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तंत्र का लक्ष्य रहा है बीआइएफआर, डीआरटीआर तथा अन्य विधिक क्रियाविधियों की परिधि से बाहर व्यवहार्य संस्थाओं के कंपनी ऋण की पुनर्संरचना के लिए समयबद्ध और पारदर्शक तंत्र सुनिश्चित करना। सीडीआर प्रणाली मार्च 2002 से प्रारंभ हुई जब 49 वित्तीय संस्थाओं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के (34) बैंक और निजी क्षेत्र के (15) बैंक शामिल हैं द्वारा 25 फरवरी 2002 को अंतर

बाक्स V.3: आस्ति प्रबंधन कंपनियों के कार्य - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

अशोध्य ऋण की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न देशों में आस्ति प्रबंधन कंपनियां / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एएमसी/एआरसी) स्थापित की गई हैं। एएमसी बैंकों से बट्टाकृत दर पर एनपीए लेती हैं और उनका प्रबंध तथा निपटान करती हैं।

‘आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी’ शब्द विशिष्ट भारतीय शब्द है - जिसका वैश्विक समतुल्य शब्द है आस्ति प्रबंधन कंपनी और इसका उद्गम नरसिंहम समिति (I) में है जिसमें केंद्रीय आस्ति पुनर्निर्माण निधि (एआरएफ) की कल्पना की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा एआरएफ में अंशदान की गई निधि का उपयोग बैंकों द्वारा अनर्जक ऋण बट्टे खाते में डालकर उन्हें भाररहित करने के लिए किया जाना था। एआरएफ की यह कल्पना कार्य कर नहीं कर पायी क्योंकि सरकार ने यह विकल्प चुना कि सार्वजनिक क्षेत्र के दुर्बल बैंकों का पुनर्पूँजीकरण किया जाए और वे ही अपने एनपीए का प्रबंध करें। तथापि, 1998 में प्रस्तुत नरसिंहम समिति II की सिफारिशों में एआरसी के रूप में उसके प्रस्ताव का पुनः उल्लेख किया गया है। केंद्रीय बजट 1998-99 ने इस प्रकार उच्च एनपीए वाले कुछ बैंकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे प्रायोगिक आधार पर एआरसी का गठन व तत्पश्चात जुलाई 1998 में कार्य दल का गठन करें जोकि भारत में एआरसी के गठन हेतु संभाव्य तरीकों का अध्ययन करें तथा परिचालनात्मक योजना तैयार करें। एआरसी के लिए आवश्यक विधिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआइ) अधिनियम, 2002 पारित किया। वैसे ही, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधनों की कमी के संबंध में सामना किये जा रहे वर्तमान असमंजस का एक समाधान है उनके एनपीए की बिक्री के लिए एआरसी की आस्ति पुनर्संरचना के रूप में सहायता लेना।

ऐसी संस्थाएं विश्व में मलेशिया, कोरिया और अन्य अनेक देशों में पहले ही सफल हो चुकी हैं। एएमसी मुख्यतः दो रास्ते अपनाती हैं : (i) ऋण/उधार की पुनर्संरचना और (ii) ऋण/रेखांकित आस्तियों की सीधी बिक्री। एएमसी के अनुभव से यह सुझाव मिलता है कि आस्तियों के तुरंत निपटान से वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। पूर्व एशिया के वित्तीय संकट के बाद इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड ने अलग-अलग केंद्रीकृत एएमसी स्थापित

किए जिनका कार्य था बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से एनपीए खरीदना, उनका पुनर्निर्माण करना तथा उनका निपटान करना और कंपनी ऋण पुनर्निर्माण हेतु अनौपचारिक तंत्र स्थापित किया गया। उक्त संकट से लगभग सात साल होने पर ‘संकट प्रवर्तित’ इन संस्थाओं में से कुछ ने कार्य करना बंद कर दिया है। उसी प्रकार अगले दो वर्षों में दो एएमसी अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके होंगे। किसी एएमसी के सफलतापूर्वक कार्य करने के मुख्य कारक हैं दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, समर्थक विधिक ढांचा, कुशल बाजार वातावरण, पर्याप्त नियंत्रण, वास्तविक आस्ति मूल्यांकन और प्राप्त आस्तियों का शीघ्र निपटान।

थाईलैंड में थाई आस्ति प्रबंध कंपनी निगम (टीएएमसी) स्थापित किया गया है जो कि स्टेट बैंकों के अशोध्य ऋण खरीदता है। टीएएमसी ने उसके कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में 753.33 बिलियन बाहट के ऋण की पुनर्संरचना की है जो कि उसकी क्षतिग्रस्त आस्तियों का 96.7 प्रतिशत है। चीन में अनर्जक ऋण के कुल 1.4 ट्रिलियन युआन (168 बिलियन अमरीकी डालर) से अधिक के अधिग्रहण के लिए शुरू में चार वित्तीय आस्ति प्रबंध कंपनियां (एएमसी) थीं। जून 2004 तक इन चार एएमसी ने 45.7 प्रतिशत आस्ति-निपटान अनुपात और 20.7 प्रतिशत नकदी-वसूली अनुपात के साथ एनपीए का निपटान किया। इसके अलावा, आस्ति प्रबंध का कार्य करने की अनुमति देते हुए 6 अन्य कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए। ताईवान में, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा प्रेषित एएमसी नीलामी में शामिल होना और वित्तीय संस्थाओं के साथ वार्ता करके एनपीए प्राप्त हेतु बोली प्रस्तुत करने का कार्य सीधे ही करती हैं।

संदर्भ :

1. फंग बी., जार्ज, जे., हॉल, एस. एंड मा, जी (2004), ‘पब्लिक असेट मनेजमेंट कंपनीज इन ईस्ट एशिया : ए कर्पोरेटिव स्टडी’, बीआइएस ओकेजनल पेपर नं.3, फरवरी।
2. एशियन डेवलेपमेंट आउटलुक, एशियाई विकास बैंक, अप्रैल 2004।
3. दि नेशन, थाईलैंड, 2 सितंबर 2004।
4. स्टैटिस्टिक्स डाटा, चायना बैंकिंग रेगुलेटरी कमीशन, जुलाई 2004।

बाक्स V.4: भारत में एआरसी के लिए विनियामक वातावरण

भारत में एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम 2002 के अधिनियमन से उधारदाता एजेंसियों (बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं) को निर्धारित आस्तियों का न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही पूर्व निपटान करने व बेचने का अधिकार मिल गया है। मौजूदा एआरसी ढांचे में सरकार से सहायता न प्राप्त बहुविध एआरसी/प्रतिभूतिकरण कंपनियों की कल्पना की गई है जो कि उधारदाताओं, एनपीए निवेशकों या कंपनियों द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम किसी एआरसी को अनुमति देता है कि वह 2 करोड़ रुपये की न्यूनतम स्वाधिकृत निधियों से कार्य प्रारंभ करे। निर्देशों के अनुसार एआरसी से अपेक्षित है कि वह उसकी जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखे। तथापि, न्यायों पर रखी गई वित्तीय आस्तियों पर पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं की शर्त लागू नहीं होगी। कोई एआरसी अपनी निधियन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बांड और डिबेंचर जारी कर सकती है किंतु जमाराशियां नहीं ले सकती। एआरसी कुछ शर्तों पर साधारण करार करके बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से या मूल बैंकों/वित्तीय कंपनियों को बांड और डिबेंचर जारी करके वित्तीय आस्तियां प्राप्त कर सकती हैं। आस्ति प्राप्त करने पर उधारदाता के सभी अधिकार एआरसी में निहित होते हैं और वे सभी संविदाओं/डीड/करारों आदि में पक्ष बनते हैं। एआरसी को यह भी अनुमति है कि वह उधारदाता द्वारा किसी बैंक/संस्था के वसूली एजेंट के रूप में उन्हें उपलब्ध प्रतिभूति प्रवर्तन अधिकारों के तहत प्राप्त संपार्श्विक आस्तियों के प्रबंधक के रूप में कार्य करे। आस्ति-प्राप्ति की तारीख से एआरसी को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि का सकल-समय ढांचा दिया जाता है। अधिनियम के अनुसार, आस्ति पुनर्चना कार्य करने के लिए एआरसी निम्नलिखित कार्य कर सकती है (i) प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन, (ii) उधारकर्ता प्रबंधन लेना या बदलना, (iii) उधारकर्ता के कारोबार का विक्रय या लीज करना और (iv) समझौता करना व ऋण पुनर्निर्धारित करना। तथापि, एसएआरएफएईएसआइ के अनुसार, प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के लिए कम से कम 75 प्रतिशत सुरक्षित ऋणदाताओं का इस अधिकार के प्रयोग हेतु राजी होना आवश्यक है।

एनपीए के गतिशील समाधान हेतु, किसी एकल ऋणकर्ता से विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को देय वित्तीय आस्ति पर प्राप्ति हेतु विचार किया जाए। वैसे ही, उसी संपार्श्विक से संबंध वाली वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति पर तुलनात्मक रूप से तेज व सरल वसूली हेतु विचार किया जा सकता है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, एक जैसी हैसियत की आस्तियों हेतु एक जैसी मूल्यांकन पद्धति होनी चाहिए और एक मानक मूल्यांकन पद्धति अपनायी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय आस्ति का मूल्यन विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। मूल्यन आंतरिक तौर पर किया जाना चाहिए और / या किसी स्वतंत्र एजेंसी के मार्फत किया जाना चाहिए जो कि संबंधित आस्ति के मूल्य पर निर्भर होगा। प्राप्त आस्तियां ऐसी आस्तियों का क्रय-विक्रय करने वाले व्यक्तियों से निविदाएं मंगवाकर, लोगों से टेंडर मंगाकर, सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके या निजी समझौते से बेची जानी चाहिए। हालांकि एआरसी पर आस्ति प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जोकि पुनर्जीवन के अयोग्य मानी गई हों, वहीं बैंकों को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एआरसी सामान्यतः ऐसी आस्तियां नहीं लेंगी और इन आस्तियों हेतु शुल्क आधार पर एजेंट के रूप में कार्य करेगी।

तीन एआरसी अर्थात् भारतीय आस्ति पुनर्चना कंपनी लिमि. (एआरसीआइएल) और आस्ति पुनर्चना उद्यम (एसीई) और एएसईआरसी (इंडिया) लि. पंजीकृत

की गई हैं। एसीई लि. और एएसईआरसी लि. ने अपना कार्य अब शुरू नहीं किया है। एआरसीआइएल ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से 2089.5 करोड़ रुपये के मूल्य पर 9,631 करोड़ रुपये के मूल्य की आस्तियां खरीदी हैं। आइडीबीआइ द्वारा एआरसीआइएल को अंतरित 11 मामलों में 239 करोड़ रुपये की कुल मूलधन बकाया है। 31 मार्च 2004 तक, आइएफसीआइ के निदेशक मंडल ने एआरसीआइएल का वह प्रस्ताव अनुमोदित किया है जिसमें 173 करोड़ रुपये के कुल शुद्ध बकाया के 4 एनपीए खाते 83 करोड़ रुपये के छूट प्राप्त मूल्य पर प्राप्त करने का प्रावधान है। 31 मार्च 2004 को एआरसीआइएल ने पुनः 16 अन्य एनपीए के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा (आइएफसीआइ के संविभाग में 334 करोड़ रुपये के मूल धन बकाया राशि जिसके लिए 146 करोड़ की राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए) जो कि विचाराधीन है। आइआइबीआइ लि. और सिडबी भी एआरसी को उनके एनपीए बेचने के विकल्पों की जांच कर रही है।

भारत में एआरसी के बाबत एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि अंतरराज्यीय वित्तीय आस्तियों के समनुदेशन पर स्टैम्प ड्यूटी भिन्न भिन्न हैं जिससे लेनदेन लागत प्रभावित होती है। दूसरा मामला है वर्तमान वातावरण में एएमसी/प्रतिभूतिकरण कंपनियों की संख्या उचित होना क्योंकि बहुत अधिक कंपनियां ऋण समुच्चयन की समस्या खड़ी कर सकती हैं और आस्ति पुनर्चना की प्रगति में बाधा डाल सकती है। अगंभीर खिलाड़ियों का प्रवेश रोकने और एआरसी का उचित कार्यरत होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्याप्त वित्तीय समर्थन वाली प्रतिष्ठित पार्टियों द्वारा प्रवर्तित एआरसी की पंजीयन प्रक्रिया पर बल देने की आवश्यकता है। एआरसी का कार्य करना एनपीए का एआरसी को अंतरण करने की उधारदाता बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों की इच्छा पर भी निर्भर करता है। भारत के मामले में, प्रतिभूति प्रवर्तन प्रतिभूति कंपनियों और एआरसी के लिए मुख्य समाधान रणनीति नजर आती है क्योंकि अधिकांश एनपीए संदिग्ध और अशोध्य ऋण की श्रेणी के हैं। अतः इन आस्तियों के निपटान और वसूली स्तर बढ़ाने के लिए ऐसी अभिग्रहित आस्तियों का बाजार-व्यवसाय आवश्यक है। यह निर्धारित किया गया है कि मजबूत पूंजी आधार और अभिग्रहित एनपीए के प्रबंध में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए कारोबार शुरू करने के लिए स्वाधिकृत निधि अभिग्रहित आस्तियों के 15 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये, इसमें से जो भी कम हो, होनी चाहिए। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट (फरवरी 2004)³ में एआरसी के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। मुख्य सिफारिशें ऐसी हैं: i) एआरसी पर एकल पार्टी का नियंत्रण संभव होने के लिए एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम में संशोधन करना, बशर्ते एनपीए के 'वेअरहाउसिंग' के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा का रक्षोपायों का विनियमन किया जाए, ii) विदेशी संस्था सहित एकल पार्टी को योजना की समग्र 100 प्रतिशत की प्रतिभूति प्राप्ति हेतु अभिदान करने के लिए अनुमति देना, iii) यह सुनिश्चित और स्पष्ट करना कि आस्ति प्रबंधकों को एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम के अंतर्गत आस्ति पुनर्चना के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए अनुमति दी गयी है।

संदर्भ :

टेकिनकल असिस्टंट्स (टीए) नं.3943 आइएनडी, डेवलपिंग दि एनेबलिंग इन्वायरन्मेंट फॉर एंड स्ट्रक्चरिंग ऑसेट रिस्क स्ट्रक्चरिंग कंपनीज् इन् इंडिया, अंतिम रिपोर्ट, खण्ड I, फरवरी 2004, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध।

³ एशियाई विकास बैंक ने भारत में आस्ति पुनर्चना कंपनियों के लिए वातावरण और ढांचे के विकास का कार्य करने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्राइसवाटर हाउस कूपर्स और दो कानूनी फर्मों - अमरचंद एण्ड मंगलदास तथा ब्लेक डॉसन वाल्डन लॉयर्स को नियुक्त किया।

ऋणदाता करार निष्पादित किया गया। एआरसीआइएल और एसीइ द्वारा सीडीआर प्रणाली से जुड़ने के बाद कुछ समय में उक्त सदस्यता 49 से बढ़कर 65 हो गई।

5.52 सीडीआर तंत्र के परिचालन अधिक कुशल बनाने और उक्त तंत्र को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से केंद्रीय बजट 2002-03 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में बैंकरों व अन्य को शामिल करके एक उच्च स्तरीय दल (अध्यक्ष: श्री वेपा कामेसम) बनाया गया। उक्त उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों के आधार पर और भारत सरकार से परामर्श करके रिजर्व बैंक ने अब सीडीआर की योजना संशोधित की है। पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए संशोधित दिशानिर्देश फरवरी 2003 में जारी किए गए।

5.53 संशोधित दिशा निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं हैं सीडीआर प्रणाली के तहत पुनर्संरचना के दो प्रकारों का प्रारंभ। 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए खाते प्रथम श्रेणी (श्रेणी I) के तहत पुनर्रचित किए जाएंगे, जबकि 'संदिग्ध' श्रेणी के खाते दूसरी श्रेणी (श्रेणी II) में पुनर्रचित किए जाएंगे। सीडीआर तीन चरण की होगी जिसमें सीडीआर स्थायी मंच और उसका केंद्रीय समूह (नीति निर्माता निकाय), सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह (सीडीआर तंत्र को संदर्भित मामलों की पुनर्रचना पर निर्णय लेने हेतु कार्यमूलक समूह) और सीडीआर कक्ष (सीडीआर प्रणाली हेतु सचिवालय) शामिल होंगे। उक्त योजना में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं पात्रता मानदण्डों का विस्तार ताकि वाद दाखिल मामलों को भी शामिल किया जा सके बशर्ते पुनर्रचना का प्रस्ताव मूल्य से 75 प्रतिशत के उधारदाताओं द्वारा समर्थित हो, तत्कालीन बीआइएफआर के बड़े मामलों पर सीडीआर केंद्रीय समूह द्वारा निर्णय लिया जाना, सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को अतिरिक्त सहायता स्वीकृति में लोच, पैकेज में से बाहर जाने के विकल्प की उपलब्धता, श्रेणी II योजना में 'संदिग्ध आस्तियों' के मामलों की पुनर्रचना, यूटीआइ, एलआइसी, जीआइसी और देश से बाहर वित्तपोषित विदेशी उधार दाताओं जैसी संस्थाओं को मामला-दर-मामला आधार पर सीडीआर प्रणाली से जुड़ने का विवेकाधिकार।

5.54 30 जून 2004 तक सीडीआर स्थायी मंच की 6, केंद्रीय समूह की 14 तथा अधिकार प्राप्त समूह की 53 बैठकें हो चुकी हैं। प्राप्त 135 आवेदनपत्रों में से सीडीआर कक्ष ने सभी मामले अधिकार प्राप्त समूह को 30 दिनों के निर्धारित समय में भेज दिए। अधिकार प्राप्त समूह ने 94 मामलों में अंतिम योजना अनुमोदित की जिसमें वित्तीय प्रणाली की कुल सहायता 64,017 करोड़ रुपये होती है,

30 मामले अस्वीकृत / बंद किए गए और 2,677 करोड़ रुपये के शेष 11 मामले विचार करने के विभिन्न चरणों में हैं।

पारस्परिक निधियां

5.55 पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधनों का संग्रहण 2003-04 में दस गुना से भी ज्यादा बढ़ गया जिसका मुख्य कारण था निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों के संसाधन संग्रहण में भारी वृद्धि और गत वर्ष की उसी अवधि में हुई निवल जावक के विरुद्ध यूटीआइ में निवल आवक का होना (सारणी V.15 और परिशिष्ट सारणी V.9) पारस्परिक निधियों द्वारा संग्रहित संसाधनों की बड़ी मात्रा मुद्रा बाजार योजनाओं (52.5 प्रतिशत) और ऋण लिखतों (27.3 प्रतिशत) से जुटायी जाती है जबकि सामान्य शेयर अभिमुख योजनाओं में 15.4 प्रतिशत का संग्रहण है (सारणी V.16)। द्वितीयक बाजार में, भलेही परंपरा के रूप में, पारस्परिक निधियां सामान्य शेयरों में शुद्ध विक्रेता और ऋण में शुद्ध क्रेता के रूप में दिखीं, 2003-04 में इस प्रवृत्ति में विपरित बात हुई जिसमें पारस्परिक निधियां 1,308 करोड़ रुपये और 22,701 करोड़ रुपये तक क्रमशः सामान्य शेयरों में शुद्ध क्रेता और ऋण में शुद्ध विक्रेता के रूप में नजर आयीं। ऋण उन्मुख योजनाओं ने पारस्परिक निधि के प्रबंधन के तहत आस्तियों का बड़ा भाग दर्ज किया (45 प्रतिशत) जिनके पीछे मुद्रा बाजार योजनाएं (30 प्रतिशत) और सामान्य शेयर उन्मुख योजनाएं (18 प्रतिशत) रहीं। 2003-04 के दौरान, सभी पारस्परिक निधियों की सामान्य शेयर और ऋण उन्मुख योजनाओं के निवल आस्ति मूल्य

सारणी V.15: पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण

(राशि करोड़ रुपये में)

पारस्परिक निधियां	2002-03	2003-04
1	2	3
I. सार्वजनिक क्षेत्र	1,895	3,762
II. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	-9,434	1,050*
III. निजी क्षेत्र	12,122	42,873
कुल (I+II+III)	4,583	47,684

* वर्ष 2002-03 के आंकड़े यूटीआइ म्युचुअल फंड से संबंधित हैं जो यूटीआइ का यूटीआइ म्युचुअल फंड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेषीकृत उपक्रम के रूप में द्विभाजन होने के बाद के परिचालन के पहले वर्ष 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2004 तक की अवधि के हैं।

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं और संबंधित म्युचुअल फंड से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित किये गये हैं।

2. यूटीआइ के लिए आंकड़े निवल विक्रय हैं (प्रीमियम सहित) जिनमें पुनर्निवेश विक्रय शामिल है, तथा अन्य पारस्परिक निधियों के लिए आंकड़े सभी योजनाओं के तहत निवल विक्रय से संबंधित हैं।

3. आंकड़ों में अपतटीय निधियों द्वारा और पुनः निर्धारणीय योजनाओं के मार्फत संग्रहित राशि शामिल नहीं है।

सारणी V.16: पारस्परिक निधियों द्वारा संग्रहित निवल संसाधन: योजनाओं के प्रकार के अनुसार

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना का प्रकार	2000-01	2001-02	2002-03*	2003-04
1	2	3	4	5
मुद्रा बाजार योजनाएं	2,564 (28.1)	3,291 (45.9)	5,005 (119.3)	24,576 (52.5)
सरकारी प्रतिभूतियां	-312 (-3.4)	1,563 (21.8)	-691 (-16.5)	2,232 (4.8)
ऋण लिखत	4,839 (53.0)	8,210 (114.4)	1,467 (35.0)	12,795 (27.3)
सामान्य शेयर उन्मुख योजनाएं	-745 (-8.2)	-534 (-7.4)	43 (1.0)	7,219 (15.4)
अन्य	2,782 (30.5)	-5,355 (-74.6)	-1,628 (-38.8)	-13 (0.0)
कुल	9,128	7,175	4,196	46,809

* यूटीआइ का यूटीआइ म्युचुअल फंड (सेबी के पास यूटीआइ II के रूप में पंजीकृत) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विशेषीकृत उपक्रम (यूटीआइ-1) के बीच बंटवारा होने के कारण यूटीआइ के आंकड़े जनवरी 2003 तक ही हैं।

टिप्पणी : 1) संग्रहित निवल संसाधन की गणना संग्रहित सकल संसाधनों से पुनर्खरीद/उन्मोचन निर्धारण के बाद की गई है।

2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संग्रहित निवल संसाधन के कुल अभिनियोजन में विशिष्ट योजनाओं से संबंधित हैं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड।

(एनएवी) में आशानुरूप भारी सुधार दिखा जोकि सामान्य शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति से हुआ था।

पारस्परिक निधि संबंधी नीतिगत गतिविधियां

5.56 पारस्परिक निधियों के परिचालन और नियंत्रण में और अधिक सुधार लाने के लिए 2003-04 के दौरान अनेक उपाय किए गए। इनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं : सेबी (पारस्परिक निधि) विनियमावली, 1996 द्वारा निर्धारित निवेश सीमाएं सभी ऋण प्रतिभूतियों पर लागू करना, प्रत्येक पारस्परिक निधि में निवेशक सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करना, प्रतिभूति बाजार

में मात्र विशेष ग्राहक कूट दर्शाकर पारस्परिक निधियों को अनुमति देना, पारस्परिक निधियों / एएमसी के मौजूदा सभी कार्मिकों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया की अनिवार्य पूर्णता, पारस्परिक निधियों के व्युत्पन्नी व्यापार में सहभाग हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करना, पारस्परिक निधि योजनाओं के निवेशकों के लिए उन्मोचन के उनके आवेदन पत्रों / अनुरोधों में उनके बैंक खाते के नंबर दर्शाना अनिवार्य करना, पारस्परिक निधि के उन्मोचन और अभिदान हेतु एनएवी लागू करने के लिए एक समान समय सीमा निर्धारित करना, और पारस्परिक निधियों को उनकी आस्तियों के 10 प्रतिशत तक विदेशी प्रतिभूति में निवेश की अनुमति देना, आदि।